सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

दुर्गादेवी बनाम मघदास

नम्बर 30/2019

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.07.19	अभिभाषक अपीलांट श्री श्यामदीन पड़िहार उपस्थित । अपील बाद जॉच, रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्व हो। पत्रावली पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट की खतेदारी भूमि ग्राम जसवन्तसर तहसील लूणकरनसर के खसरा नम्बर 140 तादादी 10 बीघा, खसरा नम्बर 157 तादादी 10 बीघा, खसरा नम्बर 158 तादादी 12 बीघा 10 बिस्वा कुल 32 बीघा 10 बिस्वा निहित है। जिस पर अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अपीलांट के धारण की भूमि के चिपते ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी भूमि है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश जोकि पक्षकारों के मध्य सीमाज्ञान के बाबत् पारित किया गया है, की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने व अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश जैर अपील की पालना स्थगित फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को सुना गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व अपीलाधीन आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में परीक्षण न्यायालय के एकतरफा अंतरिम आदेश में मौके की स्थिति बनाये रखने का उल्लेख है, परन्तु मौके पर क्या स्थिति है इसके बारे में कोई रिपोर्ट संलग्न नहीं है। अस्थाई निषधाज्ञा अस्पष्ट होने के कारण दोनो पक्ष अलग–अलग अर्थ लगा रहे है। जिससे मौके पर विवाद उत्पन्न होने की आशंका है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

अतः अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि राजस्व कर्मियों की टीम गठित कर मौके पर परम्परागत् सीमा चिन्हों का सत्यापन करवाया जावे। वाद प्रस्तुत करने तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के उपरान्त किसी पक्ष ने सीमा चिन्ह में रद्दोबदल का प्रयास किया हो तो स्पष्ट उल्लेख किया जावे तथा स्पष्ट आदेश प्रसारित किया जावे।

परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 31–07–2017 तक स्पष्ट आदेश जारी किया जावे तब तक पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। तत्पश्चात् पूर्व आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

([illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर